



प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 05 अक्टूबर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी रामवीर पुत्र श्री मौजी यादव, निवासी जनपद-शाहजहाँपुर की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-4746/प्रो(6)/259/(अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस-25), दिनांक 10.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी रामवीर पुत्र श्री मौजी यादव, जो दिउरा, थाना-जलालाबाद, जिला-शाहजहाँपुर का निवासी है। सिद्धदोष बन्दी रामवीर पुत्र श्री मौजी यादव द्वारा दिनांक 22.10.2000 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आपसी रंजिश के कारण देशी राइफल व तमंचे से फायरिंग करके जगदीश, जगतपाल व कु0 संयोगिता नामक 03 लोगो की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-376/2001, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 436, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-4 शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 24.02.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.04.2017 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.12.2025 तक 25 वर्ष, 00 माह, 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 32 वर्ष, 01 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- बन्दी द्वारा आपसी रंजिश के कारण देशी राइफल व तमंचे से फायरिंग करके 03 लोगों की हत्या किये जाने जैसा घृणित, जघन्य व सम्पूर्ण मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, 28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी / 2018 दिनांक-27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामवीर पुत्र मौजी यादव की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी रामवीर (बन्दी सं0-39138) पुत्र श्री मौजी यादव, निवासी जनपद- शाहजहांपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 1347/2026/136(1)/22-2-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
- 2- पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर।
- 3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।